North Eastern Railway

Office of the
Divisional Railway Managers (Personnel)
Lahartara,Varanasi-221002

FileNo: NER-BSB0Pers(PROM)/9/2020-O/oSr.DPO/BSB/NER(**Computer No:**139180)Dt.**05.05.**2026

वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर
पू.उ.रेलवे,वाराणसी

बिषय :- दिनांक 27.12.2025 को सम्पन्न हुयी जेई टेली (LDCE) की चयन परीक्षा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- महाप्रबंधक(कार्मिक) गोरखपुर का पत्र सं.KA/MPP/CBT/IV/Part-I दिनांक 29.04.2026

****

बिषयांकित एवं संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि वाराणसी मंडल के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के जेई टेली (LDCE) संवर्ग के चयन परीक्षा जो दिनांक 27.12.2025 को सम्पन्न किया गया था,को तकनीकी कारणों से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निरस्त किया गया है।

सकाधि –IR
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का.)
पू.उ.रेलवे,वाराणसी

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वमंसिदूई-II /वारा.
02. मंसिदूई /गोरखपुर
03. समंसिदूई/मऊ/छपरा/वारा.
04. समस्त पर्यवेक्षक /सिग्नल एवं दूरसंचार /वाराणसी मंडल
05. सम्बंधित कर्मचारीगण एवं अन्य प्रति
06. मु.कार्याधि एम.पी.पी.सेल/सिग.विभाग/स्थापना /प्लानिंग/वारा.
07. मंडल मंत्री एन.ई.आर.एम.सी./अजा./अजजा.एवं अपिजा एसो.वारा.

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पू.उ.रेलवे,वाराणसी

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय महाप्रबंधक (कार्मिक), गोरखपुर-273012

No- KA/MPP/CBT/IV/Part-I

दिनांक 29.04.2026

1. **मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक),**
   पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ/वाराणसी/इज्जतनगर।
2. **वकाधि/मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।**

विषय- दिनांक 27.12.2025 को संपन्न हुयी JE/TELE (LDCE) की चयन परीक्षा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2025/E(RRB)/25/14 दिनांक 21.08.2025।

****

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21.08.2025 के अनुपालन में दिनांक 27.12.2025 को JE/TELE (LDCE) की लिखित परीक्षा मण्डलों/मुख्यालय के परीक्षा केंद्र पर संपन्न हुई थी, जिसे तकनीकी कारणों से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निरस्त किया गया है।

कृपया उपरोक्त के आलोक में Show Cause Notice जारी करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अध्यक्ष/आरआरसी

प्रतिलिपि - 1. सचिव/प्रमुसिदुई/गोरखपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव/प्रमुकाधि/गोरखपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)